न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत,
पीठासीन अधिकारी गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध 63 / 2019

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 पीराराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी विश्नोईयों की ढाणी, भाणिया तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. झालाराम पुत्र धनाराम 2. भारमल पुत्र धनाराम 3. मानाराम पुत्र धनाराम 4. जगदीश उर्फ जगाराम पुत्र धनाराम जातिगण विश्नोई निवासीगण विश्नोईयों की ढाणी, भाणिया तहसील सोजत जिला पाली। 5. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री देवेन्द्र व्यास एवं कैलाश दवे अधिवक्तागण अप्रार्थीगण उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 10.05.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा भाणिया पटवार हल्का राजोला कलां भू.अ.नि. चौपड़ा तहसील सोजत के ख0नं0 276 रकबा 4.9400 हैक्टर, ख0नं0 279/1 रकबा 0.9350 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 5.8750 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त कृषि भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 275, 275/1, 275/2, 275/3 की स्थित है। ख0नं0 275 अप्रार्थी सं0 1 के नाम, ख0नं0 275/1 अप्रार्थी सं0 2 के नाम, ख0नं0 275/2 अप्रार्थी सं0 3 के नाम एवं ख0नं0 275/3 अप्रार्थी सं0 4 के नाम की राजस्व रेकर्ड में दर्जसुदा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी कृषि भूमि के बीच एक ही माठ आई हुई है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ठ – क पेश किया है, जिसे प्रार्थना पत्र का भाग बनाया गया है। नजरी नक्शे में मार्क ए. से बी. माठ बताई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 उक्त नजरी नक्शे में बताई गई माठ मार्क ए. से बी. को बिखेर कर प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 276 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नाजायज तरीके से खसरा नंबर 276 में धोरा लगाने पर उतारू है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए. से बी. खसरा नं0 276 व 275, 275/1, 275/2, 275/3 के बीच वर्षो पुरानी माठ आई हुई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने दिनांक 25.07.2019 को नजरी नक्शे में दर्शित ए. से बी. माठ को जे.सी.बी. से बिखेर दिया है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होते ही प्रार्थी ने अपने पुत्रों के साथ मौके पर जाकर उक्त माठ को बिखेरने से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को मना किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 4 नहीं माने एवं उक्त माठ को बिखेर कर प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में करीब 20–25 फुट अन्दर आते हुए नया धोरा लगाना शुरू कर दिया, तब प्रार्थी ने उक्त नाजायज कृत्य करने से रूकवाया तथा उक्त कृषि भूमि की पैमाईस करने के बाद ही माठ को कायम कर धोरा लगाने हेतु निवेदन किया, तब अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने धोरा लगाना बन्द कर दिया, लेकिन दिनांक 31.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने बिना सीमांकन करवाये ही नाजायज तरीके से पुनः धोरा लगाना शुरू कर दिया तथा प्रार्थी के द्वारा मना करने के बावजूद भी नहीं रूके तथा कुछ हद तक धोरा लगाया, तब पुलिस के जरिये रूकवाया गया तथा पैमाईस करने के बाद ही धोरा लगाने का निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 4 नहीं माने व प्रार्थी को एलानियां कहा कि "हर सुरत में ख0नं0 276 में धोरा लगा कर ही रहेंगे व ख0नं0 276 में तुम्हे काश्त भी नहीं करने देंगे।" जिसका अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 नाजायज तरीके से लाठी लकड़ी के बल पर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में धोरा लगाकर हड़प करने पर उतारू है तथा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 नाजायज तरीके से प्रार्थी की खातेदारी हक हिस्से की कृषि भूमि खसरा नंबर 276 के कुछ हिस्से को हड़प करना चाहता है तथा खसरा नंबर 276, 275 (मूल खसरा) के बीच की माठ जो नजरी नक्शे में मार्क ए. से बी. बताया गया है को बिखेर कर प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 276 में नया धोरा लगाने पर आमदा है, यदि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 उक्त नाजायज कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयो पैसो में नही आंका जा सकेगा। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 नाजायज तरीके से उक्त धोरा लगाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलांदाजी, बाधा एवं अवरोध पैदा करते रहते है तथा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकियां देते है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द करवाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में मूल वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से मूल वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया है। अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा व अवरोध पैदा करते रहते है, इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये रूकवाया जाना कानुनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के बीच वर्षो पुरानी माठ कायम है, जिस माठ को अप्रार्थीगण ने बिखेर दिया है तथा अब नाजायज तरीके से प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 276 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर हड़प करने की नियत से धोरा लगाना शुरू कर दिया। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है, अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि को हड़प करना चाहते है, यदि अप्रार्थीगण उक्त नाजायज कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अधिवक्ता मय प्रार्थी ने ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 276 व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की कृषि भूमि ख0नं0 275, 275/1, 275/2, 275/3 के बीच स्थित माठ जो

उपखण्ड अधिकारी
लोजत

नजरी नक्शे में मार्क ए. से बी. दर्शाया गया है में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं करे तथा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 276 में नया धोरा नहीं लगावे एवं खसरा नंबर 276 में प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी, बाधा एवं अवरोध पैदा न तो स्वयं करे, न ही किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे तथा प्रार्थी की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करे, नही किसी अन्य नौकर, एजेन्ट आदि से करावे इस हेतु अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। दिनांक 10.05.2022 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी प्रार्थीत भूमि में धोरा पाली लगाने प्रार्थी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी कर रहे है जिन्है जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र पुर्णत गलत व मिथ्या हे। अप्रार्थीगण अपनी भूमि में धोरा पाली लगा रहा है। वे प्रार्थी के हक हिस्से में कोई दलख अन्दाजी नही कर रहे है। मात्र हैराने व परेशान करने की नियम से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसे सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन, तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का सारहीन, तथ्यहीन व पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत